



यू० पी० बैंक इम्प्लाइज यूनियन

पंजीकरण संख्या-538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध

केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा-282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा-282 001, मो: 09837472750

फोन/फैक्स: (नि०) 0562-4044383, E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com



परिपत्र संख्या : 2019-22/58/2020

दिनांक : 31.03.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

कोविड19 – कर्मचारियों की समस्यायें

हम उपरोक्त विषय में एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र पत्र संख्या 28/164/2020/12 दिनांक 30.3.2020 का अनूदित सार अपनी सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

कोविड19 – कर्मचारियों की समस्यायें

इकाईओं को ज्ञात है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से, हमने सुरक्षा उपायों, बैंकों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों, घर से काम पर दिशानिर्देश दिए जाने, शाखाओं में कार्यसमय को कम करना, कर्मचारियों के लिए मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि, वैकल्पिक दिन की उपस्थिति आदि से संबंधित आईबीए के साथ कई मुद्दों को उठाया है। हमने बीसी/बैंक मित्रों, जमा संग्रहकर्ताओं, अनुबंध/आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों को भी उठाया है। हमने दवाओं की खरीद के लिए अपेक्षित अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का अग्रिम भुगतान देने का मुद्दा भी उठाया। हमने यह भी सुझाव दिया कि राष्ट्रीय आपदा की स्थिति की इस घड़ी में बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों के योगदान को दर्ज करने के लिए, बैंक पीएम राहत कोष में वेतन दान करने के लिए अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमति दे सकते हैं।

इन सभी मुद्दों को सरकार और विभिन्न बैंकों को भी संदर्भित किया गया था। कुछ बैंक अपने स्तर पर इन मुद्दों पर अपने खुद के निर्णय ले रहे हैं। सरकार/एसएलबीसी ने भी कुछ दिशानिर्देश दिए हैं।

आज, आईबीए की एक विशेष प्रबंध समिति की बैठक हुई और विचार-विमर्श के बाद, यह महसूस किया गया कि चूंकि बैंक इन मुद्दों पर अपने स्तर पर निर्णय ले रहे हैं, इसलिए सामान्य दिशानिर्देश संभव नहीं हो सकते हैं। पीएम राहत कोष में योगदान के लिए हमारे सुझाव के संबंध में, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक बैंक स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, हमारी यूनियन अब सीधे अपने संबंधित प्रबंधन के साथ इस तरह के मुद्दों को उठा सकती है। आईबीए के पत्र की प्रतिलिपि यहां दी गई है।

अभिवादन सहित,

आपका साथी

ह...

सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री



Indian Banks' Association

HR & INDUSTRIAL RELATIONS

HR&IR/BRK/2019-20/02
March 30, 2020

Shri C.H.Venkatachalam
General Secretary
All India Bank Employees' Association
Central Office: "Prabhat Nivas" Regn. No.2037
Singapore Plaza, 164, Linghi Chetty Street, Chennai-600001

Dear Sir,

Reg: COVID19

We acknowledge receipt to your letter dated 29.03.2020 on the above matter.

2. In this connection, we advise that the contents of your letter have been discussed in length in the special Managing Committee meeting of IBA held at our office today. However, the issues mentioned in your previous Emails were already discussed with member banks and we understand they have taken appropriate steps from time to time for smooth functioning of branches, keeping in view the safety of employees and general public and wherever required they have approached Local Authorities for movement of staff to the branches without any hindrance.

3. At this hour of crisis, it is needless to say that banks have proactively taken various decisions on humanitarian and sympathetic grounds ensuring the safety of the employees and their families. Similar advisories were also issued by DFS to banks to sail through this tough phase.

4. The request for providing an option to employees for encashment of PL and donating the proceeds to Prime Minister's Relief Fund was also discussed in today's Special Managing Committee. The Committee deliberated and decided that the matter may be left to individual banks to take a decision on the same.

Thanks & Regards,

Yours faithfully,

S K Kakkar
Senior Advisor (HR&IR)